# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

| | |
|---|---|
| प्रकरण संख्याः– | 25 / 2024 |
| प्रविष्टि दिनांकः– | 20.03.2024 |
| निर्णय दिनाकः– | 17.07.2025 |

1–बद्रीलाल पुत्र किशना जाति कुमावत निवासी ग्राम रघुनाथपुरा (कुमावतान) पंचायत खरेडा तहसील व जिला टोंक

............ अपीलाण्ट

बनाम

1–कल्याण पुत्र किशना जाति कुमावत निवासी ग्राम रघुनाथपुरा (कुमावतान) पंचायत खरेडा तहसील व जिला टोंक
2–जगदीश पुत्र किशना जाति कुमावत निवासी ग्राम रघुनाथपुरा (कुमावतान) पंचायत खरेडा तहसील व जिला टोंक
3–सुखदेव पुत्र किशना जाति कुमावत निवासी ग्राम रघुनाथपुरा (कुमावतान) पंचायत खरेडा तहसील व जिला टोंक
4–नायब तहसीलदार बरवास तहसील व जिला टोंक राज.
5–हल्का पटवारी खरेड़ा तहसील व जिला टोंक राज.

............ रेस्पोडेण्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.06.2017 कमांक भू. अभि. संख्या 86 / 17 द्वारा नायब तहसीलदार बरवास, अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थितः(1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाभाषक अपीलाण्ट
रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 3 अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांकः–17/7/25

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 827, 846, 882, 889 / 2, 887, 889 / 4, 886 / 1, 913, 925 / 1, 981, 1381 / 2 कुल किता 4 कुल रकबा 6.89 हैक्टेयर वाके ग्राम खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह वर्तमान तहसील टोंक जिला टोंक में स्थित है, जो अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी। उक्त आराजी का राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कार्यकम 2017 के तहत संयुक्त खातेदारों की आपसी सहमति से विभाजन किया गया, उक्त विभाजन आदेश में त्रुटि बताते हुए खसरा नम्बर 913 रकबा 2.46 है० वाके ग्राम खरेड़ा के विभाजन की हद तक विभाजन आदेश के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. संख्या 1 ता 3 रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे। संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं अभिभाषक को मूल अपील में सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार बरवास जिला टोंक का आदेश दिनांक 07.06.2017 कमांक भू०अभि० 86/17 विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन विभाजन आदेश से खसरा नम्बर 913 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर के 6 टुकड़े किए गए तथा खसरा नम्बर 913/3 रकबा 0.66 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 913/5 रकबा 0.13 हैक्टेयर रेस्पो. सं. 1 कल्याण के हिस्से में दिए गए तथा खसरा नम्बर 913/3 रकबा 0.66 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 913/6 रकबा 0.13 हैक्टेयर अपीलान्ट के हिस्से में दिए गए तथा खसरा नम्बर 913/1 रकबा 0.82 है0 रेस्पो. सं. 2 जगदीश के हिस्से में दिए गए तथा खसरा नम्बर 913/4 रकबा 0.06 हैक्टेयर अपीलान्ट बद्री व रेस्पो. सं. 1 कल्याण के संयुक्त रूप से रखा गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 913 के कुल 6 टुकड़े उक्त विभाजन आदेश में किए गए, जिसमें अंकित बटा नम्बरों में बटा नम्बर 3 दो जगह अंकित कर दिए गए। एक बटा नम्बर 3 कल्याण के तथा दूसरा बटा नम्बर 3 अपीलान्ट के नाम कर दिया गया, जो गलत है क्योंकि विभाजन आदेश के साथ विभाजित आराजी के नक्शा शीट में अलग अलग रंग का रंग भरा गया था तथा पीला रंग अपीलान्ट के हिस्से में दर्ज किया गया था तथा हल्का नीला रंग रेस्पो. सं. 1 कल्याण के हिस्से में दर्ज किया गया था। उक्त विभाजन आदेश के साथ सलंग्न नक्शा शीट को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो खसरा नम्बर 913/2 में जो रंग भरा गया है, वह कल्याण के नाम के आगे दर्शित रंग है तथा 913/3 में जो रंग पीला भरा गया है, वह अपीलान्ट के नाम के आगे दर्शित रंग है अर्थात विभाजन आदेश के साथ सलंग्न नक्शा शीट में विभाजन में दर्शित रंग व बटा नम्बर सही अंकित है, परन्तु जब नायब तहसीलदार बरवास ने उक्त विभाजन आदेश पारित किया तो अपीलान्ट के बटा नम्बर 3 के साथ साथ रेस्पो. संख्या 1 के नाम दर्ज बटा नम्बर 2 को भी बटा नम्बर 3 विभाजन आदेश में दर्ज कर दिया गया, जिससे उक्त आदेश खसरा नम्बर 913 की हद तक निरस्त किए जाने योग्य है।

उक्त विभाजन आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु नामा. संख्या 1840 वाके ग्राम खरेड़ा भरा गया, जिसमें भी खसरा नम्बर विभाजन आदेश के अनुसार ही हल्का पटवारी द्वारा भरा गया था, परन्तु उक्त नामान्तरण का अमल होने के बाद बनने वाली जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम के आगे अंकित रंग जो पीला रंग है, में दर्ज खसरा नम्बर 913/3 की जगह 913/2 अंकित कर दिया गया तथा रेस्पो० कल्याण के खाते में खसरा नम्बर 913/2 की जगह 913/3 दर्ज कर दिया गया तथा साथ ही विभाजन के पश्चात राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 913 के बटा नम्बरों की जो तरमीम की गई, उसमें भी तथा विभाजन आदेश के साथ भरे गए रंगों में विरोधाभास है, क्योंकि खसरा नम्बर 913/3 व 913/6 के मध्य बीच में कहीं कोई गेप नहीं है, परन्तु बाद में नक्शा शीट में की गई तरमीम में खसरा नम्बर 913/3 व 913/6 के बीच में गेप कर दिया गया, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त विभाजन आदेश में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने कई लीपीकीय त्रुटियां की है क्योंकि विभाजन आदेश के साथ बनाए गए नक्शे में अपीलान्ट के हिस्से में बटा नम्बर 3 आया था तथा रेस्पो. सं. 1 कल्याण के हिस्से में बटा नम्बर 2 आया था, परन्तु विभाजन आदेश में दोनों के ही बटा नम्बर 3 अंकित कर दिया गया, तथा इसके बाद जब राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल किया जाता है तो अपीलान्ट के हिस्से में आए बटा नम्बर 3 की जगह बटा नम्बर 2 अंकित कर दिया गया तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

रेस्पो. सं. 1 कल्याण के हिस्से में आए बटा नम्बर 2 की जगह बटा नम्बर 3 अंकित कर दिया गया, जिससे उक्त आदेश खसरा नम्बर 913 की हद तक निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नायब तहसीलदार बरवास जिला टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 कमांक भू०अ० 86/17 में रेस्पो. सं. 1 कल्याण के नाम दर्ज खसरा नम्बर 913/3 रकबा 0.66 हैक्टेयर के स्थान पर 913/2 रकबा 0.66 हैक्टेयर दर्ज कर शुद्ध किया जावे तथा रेस्पो. संख्या 4 व 5 को आदेशित किया जावे कि वह वर्तमान जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम दर्ज खसरा नम्बर 913/2 के स्थान पर 913/3 अंकित कर शुद्ध करे तथा रेस्पो. सं. 1 कल्याण के नाम दर्ज 913/3 के स्थान पर 913/2 अंकित कर शुद्ध करे तथा साथ ही राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेशित किया जावे कि वह खसरा नम्बर 913 से बने 6 बटा नम्बरों की तरमीम विभाजन आदेश के साथ सलंग्न नक्शा शीट के अनुसार करें, क्योंकि विभाजन आदेश के साथ सलंग्न नक्शा शीट में 913/3 व 913/6 के बीच में कोई गेप नहीं है, परन्तु मूल नक्शा शीट में गेप अंकित कर दिया गया है तथा अपीलान्ट के साथ न्याय करें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलबध समस्त दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन करने से विदित होता है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 827, 846, 882, 889/2, 887, 889/4, 886/1, 913, 925/1, 981, 1381/2 कुल किता 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टेयर वाके ग्राम खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह वर्तमान तहसील टोंक जिला टोंक में स्थित है, जो अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी। उक्त आराजी का राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कार्यकम 2017 के तहत संयुक्त खातेदारों की आपसी सहमति से विभाजन किया गया था। उक्त आदेश में खसरा नम्बर 913 के कुल 6 टुकड़े उक्त विभाजन आदेश में किए गए, जिसमें अंकित बटा नम्बरों में बटा नम्बर 3 दो जगह अंकित कर दिए गए। एक बटा नम्बर 3 कल्याण के तथा दूसरा बटा नम्बर 3 अपीलान्ट के नाम कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है।

उक्त विभाजन आदेश के साथ सलंग्न नक्शा शीट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से जाहिर होता हैं कि खसरा नम्बर 913/2 में जो रंग भरा गया है, वह कल्याण के नाम के आगे दर्शित रंग है तथा 913/3 में जो रंग पीला भरा गया है, वह अपीलान्ट के नाम के आगे दर्शित रंग है अर्थात विभाजन आदेश के साथ सलंग्न नक्शा शीट में विभाजन में दर्शित रंग व बटा नम्बर सही अंकित है, परन्तु जब नायब तहसीलदार बरवास ने उक्त विभाजन आदेश पारित किया तो अपीलान्ट के बटा नम्बर 3 के साथ साथ रेस्पो. संख्या 1 के नाम दर्ज बटा नम्बर 2 को भी बटा नम्बर 3 विभाजन आदेश में दर्ज कर दिया गया।

उक्त विभाजन आदेश की पालना में तस्दीक किए गए नामा. संख्या 1840 वाके ग्राम खरेड़ा के बाद बनने वाली जमाबन्दी में अपीलान्ट के खाते में खसरा नम्बर 913/3 की जगह 913/2 अंकित कर दिया गया तथा रेस्पो० कल्याण के खाते में खसरा नम्बर 913/2 की जगह 913/3 दर्ज कर दिया गया तथा साथ ही विभाजन के पश्चात राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 913 के बटा नम्बरों की जो तरमीम की गई, उसमें भी खसरा नम्बर 913/3 व 913/6 के मध्य बीच में कहीं कोई गेप नही है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त विभाजन आदेश में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने कई लीपीकीय त्रुटियां की है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता हैं कि विभाजन आदेश दिंनाक 07.06.2017 कमांक भू0अ0 86/17 में रेस्पो. सं. 1 कल्याण पुत्र किशना जाति कुमावत निवासी ग्राम रघुनाथपुरा (कुमावतान) पंचायत खरेडा तहसील व जिला टोंक के नाम दर्ज खसरा नम्बर 913/3 रकबा 0.66 हैक्टेयर के स्थान पर 913/2 रकबा 0.66 हैक्टेयर दर्ज कर शुद्ध किया जावे, साथ ही जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम दर्ज खसरा नम्बर 913/2 के स्थान पर 913/3 व रेस्पो. सं. 1 कल्याण के नाम दर्ज 913/3 के स्थान पर 913/2 अंकित कर शुद्ध करे एवं खसरा नम्बर 913 से बने 6 बटा नम्बरों की तरमीम विभाजन आदेश के साथ सलंग्न नक्शा शीट के अनुसार करें।

निर्णय आज दिनांक 17/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक